फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :– 74/2023

रामधन बनाम सरकार

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रामरतन मीणा हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा तहसील कोटखावदा जवाब प्राप्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 30.04.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
	30.04.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बहस वकील प्रार्थी की पूर्व में सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम बावत् सीमाचिन्ह कायम किए जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	